उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 3037/VII-1/2018/121–ख/08
देहरादून : दिनांकः 01 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2018

45

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या–3347/VII-I-09/121–ख/2008, दिनांक 4 मई, 2009 द्वारा श्री होशियार सिंह नेगी पुत्र श्री नारायण सिंह नेगी, ग्राम संगतिया वाला, पो०ओ० भानियावाला, देहरादून को जनपद देहरादून के ग्राम जीवन वाला, फतेहपुर टांडा के क्षेत्रान्तर्गत 1.230 है० भूमि में गौरव स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु तत्समय उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति, 2008 के प्रावधानानुसार अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय–VI के बिन्दु सं० 1, अध्याय–I के बिन्दु सं० 9 एवं अध्याय–III के बिन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 602/खनिज/भण्डा०–नवी०/दे०दून/भू०खनि०ई०/2017–18, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्त गौरव स्क्रीनिंग प्लान्ट के प्रोपराईटर श्री होशियार सिंह नेगी के स्थान पर प्रो० श्री अनिल भाटी पुत्र स्व० श्री महाराज भाटी, निवासी 121, नेचरविला, लाल तप्पड़, माजरीग्रान्ट, देहरादून के रूप में परिवर्तित करते हुए संबंधित स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा घोषित क्षमता के आधार पर स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता 80 टन प्रति घंटा निर्धारित कर तद्नुसार संबंधित स्क्रीनिंग प्लान्ट का विनियमितीकरण करते हुए उक्त नीति के अध्याय–III के बिन्दु सं० 2 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन की अनुज्ञा का 05 वर्ष की अवधि हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीनीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित किया जायेगा।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 1(1) के प्रावधानानुसार अग्रेत्तर वार्षिक शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
3. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची होगी। भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तथा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों से कराया जाना होगा।
4. यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
5. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्र्सजन 600 $\mu g/m^3$ से कम हो ।
6. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्रि समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
7. स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाना अनिवार्य होगा।
8. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
9. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
10. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने की समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

–2

11. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
12. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा सम्पूर्ण कशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
13. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल–दाब बना रहे।
14. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई०डी० फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जायेगी। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
15. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित में निहित प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किया जाना होगा।
16. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः– 3037 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मै० गौरव स्क्रीनिंग प्लान्ट, प्रो० श्री अनिल भाटी पुत्र स्व० श्री महाराज भाटी, निवासी 121, नेचरविला, लाल तप्पड़, माजरीग्रान्ट, देहरादून।
5. श्री होशियार सिंह नेगी पुत्र श्री नारायण सिंह नेगी, ग्राम संगतिया वाला, पो०ओ० भानियावाला, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
31.01.18
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव